न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री वीरेन्द्र सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 01 / 2014
RCMS Case No. 2014/00084

प्रार्थीः–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
श्री विजय कान्त गौतम खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं जोन जोधपुर		1 मगनलाल पुत्र हनुमान प्रसाद कुमावत (नोमिनी), मैसर्स सी एम फुड्स प्रा0लि0 प्लॉट नम्बर 9 इण्डस्ट्रीयल स्टेट जवाई बांध रोड सुमेरपुर 2 कमलेशदेवी कुमावत(पार्टनर निर्माता) 3 मिनाक्षी कुमावत (पार्टनर निर्माता) 4 सी एम फुड्स प्रा0लि0 प्लॉट नम्बर 9 इण्डस्ट्रीयल स्टेट जवाई बांध रोड सुमेरपुर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006

उपस्थित :–

1. सरकारी पैरोकार
2. अप्रार्थीगण अनुपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांक: 26/7/2019

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी एवं उनकी ओर से नियुक्त अधिवक्ता अनुपस्थित रहे। अतः प्रार्थी की बहस एकपक्षीय सुनी गई।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली ने अपनी बहस में कथन किया कि दिनांक 26.05.2014 को श्री विजयकान्त गौतम तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन, जोधपुर ने दौराने गश्त अप्रार्थी संख्या 1 की फर्म मैसर्स सी एम फुडस प्रा.लि. प्लाट नम्बर 9 इण्डस्ट्रीयल इस्टेट जवाईबांध रोड सुमेरपुर से अप्रार्थी की उपस्थिति में वहां रखे हुए खाद्य पदार्थ अचार छगन मगन ब्राण्ड मे से 8 पोलिपैकेट 200 एमएल प्रत्येक अचार कच्चे कैर (सांगरी) छगन मगन ब्राण्ड को वास्ते जांच हेतु क्रय कर, उक्त क्रयसुदा सामग्री को प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही करते हुए पृथक पृथक भागों में विभक्त कर लेबल तैयार कर कोड व सिरियल नम्बर एडी–183 अंकित किया एवं नमूना का विवरण अंकित कर मौका फर्द तैयार की गई, जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 के हस्ताक्षर है। उक्त सीलबन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक,

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक द्वारा प्रेषित जांच प्रतिवेदन में प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना अचार कच्चे कैर (सांगरी) ब्राण्ड छगन मगन को मिथ्या छाप (Misbranded) का माना है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा मिथ्या छाप (Misbranded) स्तर का अचार का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है, जिसके लिये अप्रार्थी दोषी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थीगण पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।

अप्रार्थीगण द्वारा जो जवाब प्रस्तुत किया गया, उसमें यह अंकित किया कि अप्रार्थी की फर्म से भर गया अचार कच्चे कैर (सांगरी)ब्राण्ड छगन मगन का सैम्पल सही पाया गया है केवल पैकिंग मिथ्या छाप (Misbrand) पाया गया है। उक्त मिथ्याछाप मानवीय त्रुटी या प्रिन्टिंग मशीन के कारण हुई है इससे आम जन के स्वास्थ्य पर किसी प्रकार का दुषप्रभाव नही पडता है। अप्रार्थी की फर्म ने वर्तमान में इस त्रुटी में सुधार कर लिया है। तथा भविष्य में इस गलती को नही दोहराया जायेगा। इसलिए अप्रार्थीगण के विरूद्व कार्यवाही को ड्रोप करने का आदेश करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 26.05.2014 को अप्रार्थी की फर्म से अचार कच्चे कैर(सांगरी) छगन मगन ब्राण्ड 200 एमएल के 8 पोलिपैकेट को वास्ते नमूने क्रय कर नियमानुसार नमूना कोड एवं क्रम संख्या एडी–183 अंकित कर सीलबन्द किया गया तथा नियमानुसार प्रक्रिया अपनाते हुए जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट क्रमांक/एल.एस./334/एक्ट/2014/353 दिनांक 04.07.2014 के अनुसार उक्त नमूना कोड संख्या एडी–183 को मिथ्याछाप का माना है। अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब में भी उक्त त्रुटी से इन्कार नहीं किया हैं। अप्रार्थी द्वारा अचार कच्चे कैर(सांगरी) छगन मगन ब्राण्ड, जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3 (1)(zf)(c)(i) के मानको के अनुरूप नहीं था। उक्त नियम में यह प्रावधित किया गया है कि "(C) if the article contained in the package – (i) contains any artificial flavouring, colouring or chemical preservative and the package is without a declaratory label stating that fact or is not labelled in accordance with the requirements of this Act or regulations made thereunder or is in contravention thereof". In this case the specific name or recognized international numerical identifications of Class 2 preservatives used in the product not given on the lable of the sample. यह स्थिति खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) (ii) के तहत मिथ्याछाप परिलक्षित होता है, जो इसी अधिनियम की धारा 52 के तहत शास्ति योग्य हैं।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) (2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण द्वारा मिथ्याछाप खाद्य वस्तु अचार कच्चे कैर(सांगरी) छगन मगन ब्राण्ड का विर्निमाण/विक्रय/भण्डारण करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 52 के तहत अप्रार्थी संख्या 1 से 3 प्रत्येक पर 1,00,000/–, 1,00,000/– कुल 3,00,000/– अक्षरे तीन लाख रूपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि अप्रार्थीगण से वसूल कर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपी अप्रार्थीगण एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(वीरेन्द्र सिंह चौधरी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

आदेश आज दिनांक 26/7/2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वीरेन्द्र सिंह चौधरी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली